O/C

# राष्ट्रीय नागरिक निर्माण अभियान

**National Citizen Building Campaign**

राम नरेश यादव, संस्थापक | Ram Naresh Yadav, Founder

पत्र संख्या / Letter No.: 2026/Aug/01 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक / Date: 05 Aug 2026

मुख्यमंत्री सचिवालय
तिथि 05/08/26

**सेवा में,**

**माननीय मुख्यमंत्री महोदय,**

झारखंड सरकार, राँची।

**विषय: झारखंड में परीक्षा-भर्ती संकट तथा संस्थागत गैरजवाबदेही के समाधान हेतु तात्कालिक विधायी, प्रशासनिक एवं संरचनात्मक सुधारों के संबंध में।**

महोदय,

मैं राष्ट्रीय नागरिक निर्माण अभियान (NCBC) के संस्थापक और झारखंड के एक चिंतित नागरिक के रूप में यह पत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसका उद्देश्य किसी दल, व्यक्ति या सरकार पर राजनीतिक आरोप लगाना नहीं है। मेरा आग्रह उस व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना है जिसमें सरकारें बदलती रही हैं, पर भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, सार्वजनिक कार्यक्रमों की उपयोगिता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, न्याय तक पहुँच, पर्यावरणीय सुरक्षा, न्यूनतम आय-सुरक्षा और नागरिकों के प्रति प्रशासनिक जवाबदेही का संकट बना रहा है।

आज झारखंड के युवा परीक्षा और भर्ती में हुई कथित धांधलियों, अनियमितताओं, विलंब और अपारदर्शिता के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को किसी एक परीक्षा, किसी एक आयोग या किसी एक भर्ती एजेंसी से जुड़ा विवाद मानना भूल होगी। यह आंदोलन बीमारी नहीं, बीमारी का लक्षण है। असली बीमारी है - राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त गैरजवाबदेही, गैरजिम्मेदारी और ऐसी संस्थागत संस्कृति जिसमें गंभीर विफलता के बाद भी जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होती।

एक अभ्यर्थी परीक्षा में केवल उत्तर नहीं लिखता; वह अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष, परिवार की सीमित आय, माता-पिता की आशा और अपने भविष्य का विश्वास उसमें लगाता है। जब प्रश्नपत्र लीक, संगठित नकल, एजेंसी-स्तरीय मिलीभगत, मूल्यांकन में अनियमितता अथवा परिणाम में अपारदर्शिता की आशंका उत्पन्न होती है, तब केवल एक भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती - लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नागरिक का भरोसा टूटता है। इसी प्रकार जब विद्यालय प्रमाणपत्र तो देते हैं पर उपयोगी ज्ञान और कौशल नहीं, अस्पताल भवन तो दिखाते हैं पर उपचार नहीं, पुल बनता है पर संपर्क सड़क नहीं, भवन बनते हैं पर उपयोग नहीं होता, वैधानिक आयोग रिक्तियों के कारण निष्क्रिय रहते हैं, जल-जंगल-जमीन का अनियंत्रित दोहन नागरिकों के स्वास्थ्य और आजीविका को क्षति पहुँचाता है, संसाधन-संपन्न राज्य के परिवार आय-असुरक्षा में जीते हैं और सरकारी दफ्तर सेवा के बजाय नागरिक को चक्कर लगवाते हैं, तब लोकतंत्र का अर्थ नागरिक के दैनिक जीवन से समाप्त होने लगता है।

लोकतंत्र की आत्मा जवाबदेही है। अधिकार तभी वास्तविक हैं जब नागरिक को समय पर सेवा मिले, अन्याय की शिकायत दर्ज हो, कार्रवाई दिखाई दे, अपील का रास्ता खुला हो और दोषी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी तय हो। न्याय में अनुचित विलंब मनुष्य की गरिमा और सम्मान का हनन है तथा मानवधर्म, संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन - तीनों के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

मेरी समझ में वर्तमान परिस्थिति सरकार के लिए केवल संकट नहीं, बल्कि झारखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति को बदलने का ऐतिहासिक अवसर है। इस संदर्भ में मैं आपसे निम्नलिखित ठोस कदम उठाने का आग्रह करता हूँ। ये अलग-अलग घोषणाएँ नहीं, बल्कि एक-दूसरे से जुड़ी ऐसी संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं जो सरकार और व्यक्ति बदलने के बाद भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकें।

**प्रथम - वर्तमान और पूर्व की सभी विवादित परीक्षाओं की एकीकृत, स्वतंत्र एवं समयबद्ध जाँच**

वर्तमान विवाद से जुड़ी परीक्षाओं के साथ-साथ पिछली उन सभी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को एक साझा जाँच-परिधि में लिया जाए जिन पर गंभीर, दस्तावेजित और सार्वजनिक रूप से उठाए गए प्रश्न लंबित हैं। जाँच केवल किसी एक प्रश्नपत्र, परीक्षा केंद्र या निचले स्तर

के कर्मचारी तक सीमित न हो; प्रश्न निर्माण, मुद्रण, डिजिटल अभिरक्षा, एजेंसी चयन, परीक्षा केंद्र आवंटन, OMR अथवा डिजिटल डेटा, मूल्यांकन, परिणाम निर्माण और नियुक्ति तक पूरी शृंखला की जाँच की जाए।

इस जाँच का नेतृत्व ऐसी स्वतंत्र विशेष जाँच व्यवस्था करे जिसमें परीक्षा-प्रशासन, साइबर सुरक्षा, वित्तीय अन्वेषण, विधि और न्यायिक प्रक्रिया की विशेषज्ञता हो तथा जिसकी रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक की जाए। जिन वर्तमान या पिछली विवादित परीक्षाओं की शुचिता संदेह से परे स्थापित न हो सके, उन्हें विधि-सम्मत प्रक्रिया से रद्द कर समयबद्ध पुनर्परीक्षा कराई जाए। जिन परीक्षाओं की वैधता स्वतंत्र जाँच में स्थापित हो, उनमें ईमानदार सफल अभ्यर्थियों के अधिकार सुरक्षित रखे जाएँ। पुनर्परीक्षा का पूरा खर्च राज्य वहन करे और अभ्यर्थियों पर विफल व्यवस्था का आर्थिक बोझ दोबारा न डाला जाए।

जाँच के दौरान सभी डिजिटल और भौतिक साक्ष्य सुरक्षित किए जाएँ, संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका अलग-अलग निर्धारित हो और जाँच पूरी होने तक ऐसे व्यक्तियों को संवेदनशील परीक्षा अथवा भर्ती दायित्व से अलग रखा जाए जिनके पद पर बने रहने से साक्ष्य, निष्पक्षता या जनविश्वास प्रभावित हो सकता है।

**2. राज्यव्यापी एकीकृत भर्ती अभियान के माध्यम से सभी रिक्त पदों की समयबद्ध पूर्ति**

विवादित परीक्षाओं की जाँच और दोषियों की जवाबदेही जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक यह भी है कि झारखंड के विभागों, आयोगों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पड़े सभी स्वीकृत पद शीघ्र तथा निष्पक्ष रूप से भरे जाएँ। केवल पुरानी परीक्षाओं की जाँच से युवाओं को पूरा न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें एक विश्वसनीय नई भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति का निश्चित अवसर नहीं मिलता।

राज्य सरकार एक निश्चित समय-सीमा में सभी संस्थाओं के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की विभागवार, पदवार, जिलावार और श्रेणीवार गणना कराकर सार्वजनिक रिक्ति पोर्टल पर उपलब्ध कराए। वर्षों से भर्ती के लिए नहीं भेजे गए, छिपे हुए अथवा लंबित पद भी इसमें शामिल हों। रिक्ति की सही जानकारी समय पर उपलब्ध कराना संबंधित विभाग का कानूनी दायित्व हो और पदों को अनावश्यक रूप से रिक्त रखने की जवाबदेही निर्धारित की जाए।

सभी रिक्तियों को शैक्षणिक योग्यता, सेवा-स्तर और कार्य-प्रकृति के आधार पर उपयुक्त समूहों में बाँटकर एक विशेष राज्यव्यापी एकीकृत भर्ती अभियान चलाया जाए। समान योग्यता और समान स्तर वाले पदों के लिए साझा प्रारंभिक अथवा पात्रता परीक्षा हो; जिन पदों के लिए विषयगत ज्ञान, तकनीकी दक्षता, शिक्षण क्षमता, व्यावसायिक योग्यता या शारीरिक परीक्षण आवश्यक हो, उनके लिए पारदर्शी द्वितीय चरण आयोजित किया जाए। एकीकृत परीक्षा का अर्थ सभी पदों के लिए एक ही प्रश्नपत्र नहीं, बल्कि रिक्ति-प्रबंधन, पंजीकरण, आवेदन, परीक्षा, परिणाम, पद-प्राथमिकता और नियुक्ति को एक साझा, व्यवस्थित और समयबद्ध प्रणाली में लाना है।

प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक बार पंजीकरण, एक सत्यापित डिजिटल प्रोफाइल और समान श्रेणी के अनेक पदों के लिए एक साझा आवेदन व्यवस्था हो। अभ्यर्थी अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार पदों तथा विभागों की प्राथमिकता दे सके। उसे बार-बार वही सूचना भरने, दस्तावेज जमा करने, शुल्क देने और अलग-अलग शहरों की यात्रा करने के लिए बाध्य न किया जाए।

विज्ञापन, आवेदन, परीक्षा, उत्तरकुंजी, आपत्ति, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन, पद-आवंटन और नियुक्ति की तिथियाँ पहले से घोषित हों। किसी चरण में विलंब होने पर कारण, जिम्मेदार संस्था और संशोधित समय-सीमा स्वतः सार्वजनिक हो। सरकार वर्तमान रिक्तियों की पूर्ति के लिए एक विशेष भर्ती वर्ष घोषित करे और पहली एकीकृत भर्ती प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूरी करने का सार्वजनिक संकल्प ले। यह केवल रोजगार का प्रश्न नहीं है; रिक्त पद भरने से विद्यालयों को शिक्षक, अस्पतालों को चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी, विभागों को अभियंता और तकनीकी कर्मी, पुलिस को आवश्यक मानव संसाधन तथा पंचायतों को नागरिक सेवाएँ देने वाले कर्मचारी मिलेंगे।

**3. दोषी अधिकारियों, पदाधिकारियों और नेटवर्क की संपत्ति-जाँच तथा युवा कौशल विकास कोष**

JPSC, JSSC अथवा किसी अन्य आयोग, विभाग, परीक्षा एजेंसी, सेवा प्रदाता या मध्यस्थ नेटवर्क से जुड़े जिन व्यक्तियों की संलिप्तता जाँच में सामने आए, उनकी केवल विभागीय भूमिका ही नहीं, बल्कि आय, संपत्ति, लाभकारी स्वामित्व,

परिजनों अथवा संबंधित संस्थाओं के नाम पर अर्जित संपत्तियों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी विधि-सम्मत जाँच कराई जाए। कार्रवाई पद और प्रभाव देखकर नहीं, भूमिका और प्रमाण देखकर हो।

जो संपत्ति सक्षम न्यायिक अथवा वैधानिक प्रक्रिया के बाद अवैध रूप से अर्जित सिद्ध हो और कानूनन जब्त होकर राज्य में निहित हो, उसे सामान्य राजस्व में विलीन करने के बजाय एक पृथक, संरक्षित झारखंड युवा कौशल विकास कोष में जमा किया जाए। आरोप मात्र पर संपत्ति लेने की अनुमति न हो, लेकिन अपराध और अवैध अर्जन सिद्ध होने पर भ्रष्ट कमाई उसी युवा पीढ़ी के भविष्य के निर्माण में लौटे जिसका अवसर छीना गया था।

इस कोष का उपयोग केवल गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण, मानदेय सहित अप्रेंटिसशिप, डिजिटल और तकनीकी प्रयोगशालाएँ, प्रखंड-स्तरीय रोजगार सहायता, उद्यमिता प्रारंभिक सहायता और प्रशिक्षण के बाद वास्तविक रोजगार-संपर्क के लिए हो। कोष के प्रत्येक रुपये का स्वतंत्र लेखा-परीक्षण और सार्वजनिक खुलासा अनिवार्य हो।

**4. झारखंड अभ्यर्थी अधिकार कानून**

झारखंड विधानसभा से एक व्यापक 'अभ्यर्थी अधिकार कानून' पारित किया जाए। अभ्यर्थी को केवल आवेदनकर्ता नहीं, बल्कि विधिक अधिकार रखने वाला नागरिक माना जाए। कानून में भर्ती विज्ञापन की स्पष्टता, नियमों की स्थिरता, उचित परीक्षा शुल्क, सुलभ परीक्षा केंद्र, प्रश्नपत्र और डेटा सुरक्षा, प्रारंभिक उत्तरकुंजी, आपत्ति का वास्तविक अवसर, अंतिम उत्तरकुंजी, मूल्यांकन पद्धति, समयबद्ध परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति की निश्चित समय-सीमा शामिल हो। परीक्षा रद्द होने, अनावश्यक विलंब होने अथवा एजेंसी की विफलता के मामले में शुल्क-वापसी, यात्रा अथवा अन्य न्यायोचित प्रतिपूर्ति, त्वरित पुनर्परीक्षा और जिम्मेदार संस्था की जवाबदेही का प्रावधान हो। हर अभ्यर्थी को शिकायत की रसीद, ट्रैकिंग संख्या, अपील का अधिकार और समयबद्ध निर्णय मिले। प्रश्नपत्र लीक या संगठित अनियमितता को युवाओं के समय, धन और अवसर की चोरी मानते हुए कठोर दंड, वित्तीय दायित्व और उपयुक्त मामलों में सार्वजनिक पद से अयोग्यता के प्रावधानों पर विचार किया जाए।

एकीकृत भर्ती अभियान, वार्षिक रिक्ति विवरण और परीक्षा से नियुक्ति तक अधिकतम समय-सीमा को भी इसी कानून के अंतर्गत स्थायी वैधानिक आधार दिया जाए, ताकि सरकार अथवा अधिकारी बदलने पर भर्ती प्रक्रिया फिर अनिश्चितता और विलंब का शिकार न बने। यह कानून आयोगों की स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता, क्षमता और उत्तरदायित्व को मजबूत करने के लिए हो।

**5. कौशल विकास के लिए पर्याप्त वित्त और वास्तविक स्वायत्तता वाली वैधानिक संस्था**

झारखंड में कौशल विकास को विभागों में बिखरी योजनाओं, अल्पकालिक प्रमाणपत्रों और प्रशिक्षण संख्या तक सीमित न रखा जाए। विधानसभा के कानून से एक स्वायत्त 'झारखंड कौशल, अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार संक्रमण प्राधिकरण' बनाया जाए, जिसे पर्याप्त और बहुवर्षीय बजटीय संसाधन, स्वतंत्र पेशेवर नेतृत्व और परिणाम-आधारित जवाबदेही दी जाए।

इस संस्था में उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र, तकनीकी शिक्षा, श्रम, उद्यमिता, कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था, डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्थानीय समुदायों की विशेषज्ञता हो। प्रत्येक जिले और प्रखंड का कौशल-अंतर तथा अवसर मानचित्र तैयार किया जाए; प्रशिक्षण तभी स्वीकृत हो जब उसके बाद नौकरी, अप्रेंटिसशिप, स्थानीय उद्यम या आय-वृद्धि का स्पष्ट रास्ता हो। प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन नामांकन या प्रमाणपत्र से नहीं, बल्कि छह और बारह महीने बाद रोजगार, आय, उद्यम और कार्यस्थल पर टिकाव से किया जाए।

इस स्वायत्त संस्था को युवा कौशल विकास कोष के साथ नियमित राज्य बजट से भी पर्याप्त वित्त मिले। भ्रष्टाचार से प्राप्त धन अनिश्चित स्रोत है; इसलिए कौशल विकास का मूल दायित्व नियमित सार्वजनिक वित्त से ही पूरा किया जाए।

**6. शिक्षा और स्वास्थ्य को आवश्यक सार्वजनिक सेवा घोषित कर समान गुणवत्ता तथा परीक्षा-सत्यनिष्ठा के लिए स्वतंत्र नियामक**

झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य को साधारण बाजार-वस्तु नहीं, आवश्यक सार्वजनिक सेवा घोषित किया जाए। नागरिक की आर्थिक स्थिति यह तय न करे कि उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी या नहीं, अथवा बीमारी की अवस्था में उपचार उपलब्ध होगा या नहीं। इसके लिए विधानसभा से एक समग्र कानून पारित किया जाए जो सरकारी और निजी - दोनों प्रकार की संस्थाओं पर लागू हो।



2

कानून के अंतर्गत एक स्वतंत्र वैधानिक नियामक स्थापित किया जाए, जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अलग विशेषज्ञ शाखाएँ हों, पर जवाबदेही और गुणवत्ता का साझा सिद्धांत एक हो। यह नियामक सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ निजी विद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और जाँच केंद्रों पर भी समान रूप से न्यूनतम गुणवत्ता मानक लागू करे। भवन, शिक्षक अथवा चिकित्सक उपलब्धता, प्रयोगशाला, दवा, उपकरण, सुरक्षा, स्वच्छता, सीखने और स्वास्थ्य परिणाम, शुल्क अथवा सेवा-शुल्क की पारदर्शिता तथा शिकायत-निवारण - सभी सार्वजनिक रूप से मापे जाएँ। सरकारी संस्थाओं की विफलता पर भी वही मानक, सुधार-आदेश, समय-सीमा और सार्वजनिक रिपोर्ट लागू हों जो निजी संस्थाओं पर लागू हों।

इस नियामक की जिम्मेदारी केवल संस्थानों के भवन, मानव संसाधन, शुल्क, उपकरण और सेवा-गुणवत्ता की निगरानी तक सीमित न रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित प्रवेश, नियुक्ति, चयन, छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, रेजिडेंसी तथा अन्य अवसरों के लिए आयोजित परीक्षाओं की समयबद्धता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता भी गुणवत्ता के आवश्यक घटक माने जाएँ। प्रवेश परीक्षा, परिणाम, काउंसलिंग और नामांकन ऐसे निश्चित कैलेंडर के अनुसार हों कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष नष्ट न हो और संस्थानों की सीटें अनावश्यक रूप से रिक्त न रहें।

इसी प्रकार शिक्षकों, प्राध्यापकों, चिकित्सकों, नर्सों, तकनीशियनों, पैरामेडिकल कर्मियों और शिक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े अन्य पदों की नियुक्ति परीक्षाएँ और चयन प्रक्रियाएँ समय पर तथा धांधली-मुक्त हों। पदों का वर्षों तक रिक्त रहना केवल रोजगार का प्रश्न नहीं, बल्कि विद्यालयों और अस्पतालों की गुणवत्ता तथा नागरिकों के शिक्षा और स्वास्थ्य अधिकार पर सीधा प्रहार है।

नियामक के भीतर एक स्वतंत्र 'शिक्षा एवं स्वास्थ्य परीक्षा सत्यनिष्ठा प्रकोष्ठ' हो, जो परीक्षा कैलेंडर, एजेंसी चयन, प्रश्नपत्र और डेटा सुरक्षा, परीक्षा केंद्र व्यवस्था, मूल्यांकन, उत्तरकुंजी, आपत्ति, परिणाम, काउंसलिंग और नियुक्ति अथवा प्रवेश तक न्यूनतम मानक निर्धारित करे। प्रत्येक प्रमुख परीक्षा से पहले जोखिम-आकलन और आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र सुरक्षा अंकेक्षण हो। विश्वसनीय शिकायत मिलने पर नियामक को दस्तावेज माँगने, विशेष अंकेक्षण कराने, सुधार-निर्देश देने और सक्षम जाँच संस्था को मामला भेजने का अधिकार हो।

नियामक स्वयं हर परीक्षा आयोजित करने वाला नया परीक्षा बोर्ड न बने। जहाँ JPSC, JSSC, विश्वविद्यालय या कोई अन्य वैधानिक निकाय परीक्षा आयोजित करता है, वहाँ उसके विधिसम्मत अधिकार बने रहें; नियामक समयबद्धता, गुणवत्ता, निष्पक्षता, अंकेक्षण, शिकायत-निवारण और सार्वजनिक जवाबदेही का स्वतंत्र पर्यवेक्षक हो। केंद्रीय परीक्षाओं के मामले में वह अपनी विधिक सीमा के भीतर राज्य के परीक्षा केंद्रों, काउंसलिंग, प्रवेश और अभ्यर्थी सहायता की निगरानी करे।

**7. पंचायत को नागरिक सेवाओं का वास्तविक केंद्र और कानूनन लागू नागरिक चार्टर**

सामान्य नागरिक को प्रमाणपत्र, पेंशन, राशन, छात्रवृत्ति, आवास, श्रमिक पंजीकरण, भूमि-अभिलेख, सामाजिक सुरक्षा, शिकायत या आवेदन की स्थिति जानने के लिए प्रखंड और जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। पंचायत को नागरिक सेवाओं का अग्र-कार्यालय बनाया जाए और प्रखंड तथा जिला प्रशासन उसके प्रशासनिक एवं तकनीकी पृष्ठ-कार्यालय के रूप में काम करें। नागरिक की फाइल आगे बढ़े, नागरिक दफ्तर-दफ्तर न भटके।

विधानसभा अथवा सक्षम कानून के अंतर्गत पंचायत-स्तरीय नागरिक चार्टर बनाया जाए। इसमें पंचायत स्तर पर उपलब्ध प्रत्येक सेवा, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, शुल्क, जिम्मेदार अधिकारी, अधिकतम समय-सीमा, आवेदन की रसीद, स्थिति की जानकारी, अस्वीकृति का लिखित कारण, प्रथम और द्वितीय अपील तथा अनुचित विलंब पर जिम्मेदारी और नागरिक को प्रतिकर का प्रावधान हो। ऑनलाइन व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित मानवीय सहायता भी हो, ताकि इंटरनेट, भाषा या डिजिटल साक्षरता की कमी किसी के अधिकार में बाधा न बने।

पंचायत सेवा केंद्र किसी निजी बिचौलिये की दुकान न बनें। उनका संचालन सार्वजनिक मानकों, प्रशिक्षित कर्मियों, सुरक्षित डिजिटल प्रणाली, नियमित निरीक्षण और ग्रामसभा के समक्ष सेवा-प्रदर्शन के खुलासे के साथ हो।

**8. झारखंड नागरिक शिकायत निवारण एवं जवाबदेही अधिकार कानून**



9

लोकतंत्र में नागरिक को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि राज्य के सामने उसकी कोई आवाज नहीं है या अन्याय होने पर वह जाए तो कहाँ जाए। पेंशन रुकने, राशन अथवा छात्रवृत्ति न मिलने, भूमि और राजस्व विवाद, पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने, भ्रष्टाचार, जबरदस्ती, अपमान, अनुचित प्रशासनिक व्यवहार, सामाजिक सुरक्षा से वंचित किए जाने या किसी अन्य सरकारी अन्याय की शिकायत का स्पष्ट और प्रभावी रास्ता होना चाहिए। शिकायत करना नागरिक का अधिकार, सुनना सरकार का कर्तव्य, समयबद्ध निर्णय कानून की बाध्यता और लापरवाही पर अधिकारी की जवाबदेही हो।

विधानसभा से 'झारखंड नागरिक शिकायत निवारण एवं जवाबदेही अधिकार कानून' पारित किया जाए और उसके अंतर्गत एक एकीकृत 'झारखंड नागरिक न्याय एवं शिकायत पोर्टल' विकसित हो। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल, फोन हेल्पलाइन, डाक, पंचायत सेवा केंद्र, प्रखंड कार्यालय अथवा संबंधित विभाग के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सके। प्रत्येक शिकायत को तत्काल विशिष्ट पंजीकरण संख्या मिले और नागरिक यह देख सके कि मामला किस अधिकारी के पास है, क्या कार्रवाई हुई, अगला कदम क्या है और अंतिम निर्णय की समय-सीमा क्या है।

शिकायत को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय अग्रसारित कर देना निस्तारण न माना जाए। मामला तभी निस्तारित हो जब कारणयुक्त लिखित निर्णय, की गई कार्रवाई और अपील का रास्ता नागरिक को उपलब्ध कराया जाए। सामान्य, अत्यावश्यक और गंभीर अधिकार-उल्लंघन की अलग श्रेणियाँ हों; पेंशन, राशन, स्वास्थ्य, जीवन-सुरक्षा, दिव्यांगता, पुलिस सहायता और आजीविका से जुड़े मामलों को प्राथमिकता मिले। समय-सीमा समाप्त होने पर शिकायत स्वतः वरिष्ठ अधिकारी के पास जाए और नागरिक को नया आवेदन न करना पड़े।

जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत हो, जाँच उसी के पास न भेजी जाए। प्रथम और द्वितीय अपील की स्पष्ट व्यवस्था हो। बिना उचित कारण शिकायत लंबित रखने, तथ्य छिपाने, गलत सूचना देने, शिकायत को अनुचित रूप से बंद करने या शिकायतकर्ता को प्रताड़ित करने पर व्यक्तिगत जवाबदेही, विभागीय कार्रवाई और उपयुक्त मामलों में आर्थिक दंड हो। प्रमाणित आर्थिक हानि की स्थिति में नागरिक को उचित प्रतिकर का प्रावधान भी हो।

भ्रष्टाचार, पुलिस ज्यादती, महिला हिंसा, सामाजिक उत्पीड़न, बाल संरक्षण, गंभीर भूमि-अधिकार या अन्य अपराध-सदृश मामलों को सामान्य सेवा शिकायत मानकर बंद न किया जाए। उन्हें स्वतः सक्षम पुलिस इकाई, सतर्कता संस्था, लोकायुक्त, वैधानिक आयोग या अन्य अधिकार-संपन्न संस्था को भेजा जाए और पोर्टल पर उनकी प्रशासनिक प्रगति की ट्रैकिंग जारी रहे। शिकायत करने के कारण नागरिक के विरुद्ध प्रतिशोध रोकने और आवश्यक मामलों में पहचान-सुरक्षा के प्रावधान हों। विभागवार और जिलावार सार्वजनिक डैशबोर्ड पर शिकायतों की संख्या, निस्तारण अवधि, लंबित मामले, अपील और बार-बार सामने आने वाली समस्याएँ दिखाई जाएँ, पर नागरिकों की व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे। एक जैसी शिकायतों की पुनरावृत्ति को व्यवस्थागत विफलता मानकर नीति-सुधार, सामाजिक अंकेक्षण या विशेष जाँच की कार्रवाई हो।

**9. सभी प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों का अनिवार्य, स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण**

झारखंड में सार्वजनिक धन से सड़कें, पुल, विद्यालय, अस्पताल, छात्रावास, सिंचाई संरचनाएँ, जलापूर्ति योजनाएँ, कार्यालय और अनेक भवन निर्मित होते हैं। फिर भी कई बार पुल बन जाता है पर संपर्क सड़क नहीं बनती, सड़क बनती है पर आवश्यक पुल या नाली नहीं होती, अस्पताल अथवा विद्यालय का भवन तैयार होता है पर डॉक्टर, शिक्षक, उपकरण, पानी या बिजली उपलब्ध नहीं होती, और अनेक परिसंपत्तियाँ वर्षों तक अनुपयोगी पड़ी रहती हैं। सरकारी अभिलेख में योजना पूरी दिखाई देती है, लेकिन नागरिक को उसका कोई लाभ नहीं मिलता।

इसलिए राज्य की प्रत्येक प्रमुख योजना, कार्यक्रम और सार्वजनिक परिसंपत्ति का अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण हो। यह केवल स्वीकृत राशि, खर्च और कागजी अनुपालन तक सीमित न रहे; योजना की आवश्यकता, विभागों के बीच समन्वय, निर्माण की गुणवत्ता, परिसंपत्ति की कार्यशीलता, वास्तविक उपयोग, लाभार्थियों तक पहुँच और अपेक्षित सामाजिक परिणाम की जाँच भी करे। सड़क का मूल्यांकन इस आधार पर भी हो कि वह उपयोगी स्थानों को जोड़ती है या नहीं; पुल के दोनों ओर संपर्क सड़क है या नहीं; भवन के भीतर सेवा देने वाले कर्मचारी और आवश्यक साधन मौजूद हैं या नहीं। इसे वित्तीय अंकेक्षण के साथ कार्यात्मक उपयोगिता और परिणाम अंकेक्षण बनाया जाए।

सामाजिक अंकेक्षण को लागू करने वाले विभाग की औपचारिक शाखा बनाकर न छोड़ दिया जाए। विधानसभा से कानून पारित कर एक स्वतंत्र 'झारखंड सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक परिसंपत्ति उपयोगिता एवं नागरिक फीडबैक प्राधिकरण' स्थापित किया जाए, जिसे पर्याप्त बजट, तकनीकी विशेषज्ञता, स्वतंत्र सचिवालय और अपनी रिपोर्ट सरकार तथा विधानसभा के सामने रखने का अधिकार मिले।

राज्य सरकार सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों का पारदर्शी 'राज्य नागरिक अंकेक्षक बैंक' बनाए। इसमें सत्यापन और निर्धारित योग्यता के आधार पर झारखंड आंदोलनकारियों, सेवानिवृत्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों, सेवानिवृत्त अभियंताओं, चिकित्सकों, शिक्षकों, वित्त एवं लेखा विशेषज्ञों, महिला प्रतिनिधियों, युवाओं, विश्वविद्यालय विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिबद्ध लोगों को शामिल किया जाए। पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर इनके साथ नियमित संवाद-व्यवस्था हो, ताकि वे सामाजिक अंकेक्षण के साथ सरकार को क्षेत्र से सही, निर्भीक और समयबद्ध फीडबैक भी दे सकें।

इस बैंक में चयन सार्वजनिक आवेदन, अनुभव-सत्यापन, हित-संघर्ष घोषणा, प्रशिक्षण और आचार-संहिता के आधार पर हो; राजनीतिक सिफारिश चयन का आधार न बने। कोई व्यक्ति अपने पूर्व विभाग, परिवार, संस्था, निजी व्यवसाय या अन्य हित से जुड़ी योजना का अंकेक्षण न कर सके। अंकेक्षकों को उचित मानदेय मिले, लेकिन वे संबंधित विभाग, ठेकेदार या लाभार्थी संस्था से कोई भुगतान या सुविधा स्वीकार न कर सकें।

सभी अंकेक्षकों का नाम, योग्यता, अनुभव, कार्यक्षेत्र, हित-संघर्ष घोषणा, उन्हें सौंपे गए अंकेक्षण और उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध हों। किसी अंकेक्षक के संबंध में पक्षपात, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, गलत रिपोर्ट या सूचना छिपाने की शिकायत नागरिक दर्ज कर सकें। प्रथम दृष्टया विश्वसनीय साक्ष्य मिलने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल अंकेक्षण कार्य से अस्थायी रूप से अलग किया जाए; समयबद्ध स्वतंत्र जाँच के बाद आरोप सिद्ध होने पर उसका नाम बैंक से हटे और आवश्यक विधिक कार्रवाई हो। केवल अप्रमाणित आरोप के आधार पर ईमानदार व्यक्ति को स्थायी रूप से हटाकर दबाव बनाने की अनुमति न हो।

प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण के बाद स्थानीय स्तर पर खुली जनसुनवाई हो। संबंधित विभाग को निर्धारित अवधि में कार्रवाई रिपोर्ट देनी पड़े। अधूरा कार्य पूरा करने, अनुपयोगी परिसंपत्ति को कार्यशील बनाने, घटिया निर्माण सुधारने, गलत भुगतान की वसूली करने और दोषी अधिकारी, एजेंसी या ठेकेदार की जवाबदेही तय करने की बाध्यकारी समय-सीमा हो। सामाजिक अंकेक्षण तभी पूर्ण माना जाए जब उसकी अनुशंसाओं पर कार्रवाई की स्थिति भी सार्वजनिक हो।

**10. स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण तथा जल-जंगल-जमीन के संरक्षण का वैधानिक अधिकार**

झारखंड का इतिहास जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष से जुड़ा है। ये केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य, संस्कृति, आजीविका, सामुदायिक अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों की साझा प्राकृतिक विरासत हैं। फिर भी अनेक क्षेत्रों में वनों की अनियंत्रित कटाई, अवैध बालू उत्खनन, असंतुलित खनन, धूल और औद्योगिक प्रदूषण, जलस्रोतों का अतिक्रमण तथा भूजल-क्षरण स्थानीय जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी क्षति को केवल विभागीय अनुमति, राजस्व या सरकार की नीति का विषय मानना पर्याप्त नहीं है; इससे प्रभावित नागरिक को लागू कराया जा सकने वाला अधिकार और समयबद्ध उपचार मिलना चाहिए।

विधानसभा से 'झारखंड पर्यावरणीय अधिकार एवं जल-जंगल-जमीन संरक्षण अधिनियम' पारित किया जाए। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक और समुदाय को स्वच्छ हवा, सुरक्षित एवं पर्याप्त जल, प्रदूषण-मुक्त परिवेश, स्वस्थ पारिस्थितिकी तथा स्थानीय जलस्रोतों, वनों, भूमि और जैव विविधता के संरक्षण का स्पष्ट वैधानिक अधिकार मिले। यह कानून संविधान के जीवन और गरिमा के सिद्धांत, राज्य के पर्यावरण-संरक्षण दायित्व और प्रचलित केंद्रीय पर्यावरण कानूनों के अनुरूप हो तथा किसी मौजूदा संरक्षण-मानक को कमजोर न करे।

राज्य के नदी, नाले, तालाब, आहर-पाइन, झरने, कुएँ, जलग्रहण क्षेत्र, वनखंड, पहाड़ और अन्य सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों का पंचायतवार और जिलावार सार्वजनिक अभिलेख तैयार हो। उनकी सीमा, वर्तमान स्थिति, जल और वायु गुणवत्ता, अतिक्रमण, प्रदूषण, उत्खनन तथा पुनर्जीवन की आवश्यकता सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध हो। किसी महत्वपूर्ण जलस्रोत, वन क्षेत्र या सामुदायिक प्राकृतिक संपदा को प्रभावित करने वाले निर्णय से पहले विधिसम्मत पर्यावरणीय आकलन,



6

संचयी प्रभाव का अध्ययन, ग्रामसभा अथवा प्रभावित समुदाय से वास्तविक परामर्श और कारणयुक्त सार्वजनिक निर्णय अनिवार्य हो।

अवैध बालू उत्खनन को केवल राजस्व-हानि और अवैध खनन को केवल लाइसेंस उल्लंघन न माना जाए। इनके प्रभाव नदी की संरचना, भूजल, कृषि, पुलों, वायु, जैव विविधता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका तक पहुँचते हैं। उत्खनन की वैज्ञानिक सीमा, मात्रा और वाहनों की डिजिटल ट्रैकिंग, स्वतंत्र स्थल-जाँच, स्थानीय सामाजिक अंकेक्षण और उल्लंघन पर तत्काल रोक तथा पर्यावरणीय पुनर्स्थापन की बाध्यकारी व्यवस्था हो। किसी क्षेत्र में अनेक खदानों, उद्योगों, परिवहन और जल-दोहन के संयुक्त प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाए।

इस अधिकार को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र 'झारखंड पर्यावरणीय अधिकार एवं पारिस्थितिक जवाबदेही प्राधिकरण' स्थापित किया जाए अथवा मौजूदा संस्थाओं को समान स्वतंत्रता और अधिकार देकर पुनर्गठित किया जाए। नागरिक पेड़ की अवैध कटाई, जलस्रोत प्रदूषण, अवैध बालू उत्खनन, खनन-धूल, औद्योगिक अपशिष्ट, भूजल-क्षति या अन्य पर्यावरणीय खतरे की शिकायत पंचायत सेवा केंद्र और राज्य नागरिक शिकायत पोर्टल से दर्ज कर सकें। शिकायत को पंजीकरण संख्या, समयबद्ध स्थल-जाँच, सार्वजनिक जाँच-रिपोर्ट, कारणयुक्त निर्णय और अपील का अधिकार मिले। जहाँ जीवन, स्वास्थ्य या पर्यावरण को तत्काल और अपूरणीय क्षति का खतरा हो, वहाँ अंतरिम रोक और सुरक्षात्मक कार्रवाई की स्पष्ट शक्ति तथा जिम्मेदारी हो।

पर्यावरणीय क्षति पर केवल जुर्माना लेकर मामला समाप्त न किया जाए। प्रदूषक अथवा जिम्मेदार संस्था से क्षति रोकने, भूमि, जलस्रोत और वन क्षेत्र का पुनर्स्थापन करने, प्रभावित नागरिकों के स्वास्थ्य की जाँच और उपचार कराने तथा प्रमाणित आजीविका-हानि की भरपाई का दायित्व तय हो। वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पृथक और पारदर्शी जिला पर्यावरण पुनर्स्थापन कोष में जाए और उसी प्रभावित क्षेत्र के सुधार में खर्च हो। सार्वजनिक न्यास, प्रदूषक-भुगतान, सावधानी और अंतरपीढ़ी न्याय इस कानून के मार्गदर्शक सिद्धांत हों।

प्रत्येक वर्ष सरकार विधानसभा के समक्ष 'झारखंड पर्यावरणीय अधिकार एवं जल-जंगल-जमीन स्थिति प्रतिवेदन' रखे, जिसमें वनों और जलस्रोतों की स्थिति, वायु और जल गुणवत्ता, अवैध खनन तथा बालू उत्खनन पर कार्रवाई, पर्यावरणीय शिकायतें, पुनर्स्थापन, क्षतिपूर्ति और प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य की जानकारी हो। जल, जंगल और जमीन की रक्षा सरकार की नीति-मात्र नहीं, नागरिक का वैधानिक अधिकार और राज्य का बाध्यकारी दायित्व बने।

**11. वैधानिक न्याय, अधिकार-संरक्षण और अपीलीय संस्थाओं की सतत कार्यशीलता**

राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त, उपभोक्ता आयोग, विभिन्न वैधानिक आयोग, शिकायत-निवारण प्राधिकरण, सेवा-संबंधी अपीलीय निकाय और अन्य अधिकार-संरक्षण संस्थाएँ सामान्य नागरिक के लिए न्याय की पहली तथा प्रायः सबसे सुलभ संस्थाएँ हैं। इन्हें अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी, बजट या आवश्यक गणपूर्ति के अभाव में निष्क्रिय छोड़ना केवल प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि नागरिक को न्याय से वंचित करना है। कानून में अधिकार लिख देना पर्याप्त नहीं है; उस अधिकार के उल्लंघन पर सुनवाई और उपचार देने वाली संस्था हर समय कार्यशील होनी चाहिए।

राज्य सरकार अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाली सभी ऐसी संस्थाओं का सार्वजनिक संस्थागत रजिस्टर बनाए। उसमें स्वीकृत पद, भरे पद, संभावित रिक्ति की तिथि, नियुक्ति प्रक्रिया की स्थिति, उपलब्ध कर्मचारी और बजट, लंबित मामलों की संख्या तथा औसत निस्तारण अवधि सार्वजनिक हो। अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने से कम-से-कम छह महीने पहले नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य हो; आकस्मिक रिक्ति होने पर तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ हो और किसी संस्था को आवश्यक गणपूर्ति के अभाव में अनिश्चितकाल तक निष्क्रिय न रहने दिया जाए।

नियुक्तियाँ पारदर्शी, योग्यता-आधारित और राजनीतिक पक्षपात से मुक्त हों। इन संस्थाओं को पर्याप्त सचिवालय, विधिक और तकनीकी कर्मचारी, डिजिटल फाइलिंग, वीडियो सुनवाई, आदेशों का सार्वजनिक डेटाबेस और जिला अथवा प्रमंडल स्तर पर सुलभ सहायता मिले, ताकि दूरस्थ नागरिक को प्रत्येक सुनवाई के लिए राँची न आना पड़े। पुराने मामलों और पेंशन, आजीविका, स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगता तथा अन्य अत्यावश्यक अधिकारों से जुड़े मामलों की प्राथमिकता तय हो।



8

मुख्य सचिव स्तर पर केवल प्रशासनिक कार्यशीलता की निगरानी का तंत्र हो, लेकिन उसे इन संस्थाओं के स्वतंत्र निर्णयों में हस्तक्षेप का अधिकार न हो। प्रत्येक संस्था तिमाही रूप से प्राप्त, निस्तारित और लंबित मामलों तथा आदेशों के अनुपालन की जानकारी सार्वजनिक करे। सरकार हर वर्ष विधानसभा में 'वैधानिक न्याय एवं अधिकार-निवारण संस्थान कार्यशीलता प्रतिवेदन' प्रस्तुत करे। न्याय में अनावश्यक विलंब मनुष्य की गरिमा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है; अतः इन संस्थाओं की सतत कार्यशीलता लोकतांत्रिक दायित्व मानी जाए, वैकल्पिक प्रशासनिक सुविधा नहीं।

**12. विस्थापित परिवारों के लिए अंतरपीढ़ी पुनर्वास, अवसर और भविष्य-सुरक्षा कोष**

खनन, उद्योग, बाँध, सड़क, रेल और अन्य परियोजनाओं के लिए विस्थापन को केवल वर्तमान परिवार को एकमुश्त मुआवजा देकर समाप्त मानना न्यायपूर्ण नहीं है। भूमि जाने के साथ आजीविका, सामाजिक संबंध, स्थानीय ज्ञान, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच और आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है। आज की पीढ़ी यदि मुआवजा समाप्त होने के बाद भूख और बेरोजगारी से जूझ रही है, तो अगली पीढ़ी के पास भूमि और संसाधन दोनों नहीं रहेंगे।

इसलिए प्रत्येक बड़ी परियोजना के लिए कानून द्वारा संरक्षित 'अंतरपीढ़ी विस्थापन पुनर्वास एवं अवसर कोष' बनाया जाए। इसमें परियोजना की प्रकृति के अनुसार प्रारंभिक योगदान और निरंतर राजस्व, लाभ, रॉयल्टी अथवा अन्य उपयुक्त स्रोत से निर्धारित हिस्सा जमा हो। कोष का मूलधन दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित रहे और उसकी आय का उपयोग विस्थापित परिवारों तथा उनकी अगली पीढ़ियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, आवास, उद्यमिता और आपात सामाजिक सुरक्षा के लिए किया जाए।

पुनर्वास का केंद्र केवल पैसा नहीं, आर्थिक भागीदारी हो। परियोजना क्षेत्र में परिवहन, आपूर्ति, रखरखाव, खान अथवा औद्योगिक सहायक सेवाएँ, स्थानीय खरीद, खाद्य व्यवस्था, निर्माण, पर्यावरण पुनर्स्थापन और अन्य आर्थिक गतिविधियों में विस्थापित परिवारों, उनके युवाओं, महिलाओं, सहकारी संस्थाओं और उद्यमों को प्रथम और संस्थागत अवसर दिया जाए। रोजगार की प्राथमिकता केवल अस्थायी श्रमिक पदों तक सीमित न हो; कौशल देकर तकनीकी, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय और उद्यमी भूमिकाओं तक पहुँच बनाई जाए।

हर प्रभावित परिवार का दीर्घकालिक परिवार-अधिकार अभिलेख बने, ताकि अगली पीढ़ी अदृश्य न हो जाए। पुनर्वास और आय की स्वतंत्र समीक्षा पाँच, दस और पंद्रह वर्ष बाद भी हो तथा परियोजना बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक अर्थव्यवस्था और पुनःकौशल की पूर्व-योजना अनिवार्य हो।

**13. झारखंड के प्रत्येक परिवार के लिए सार्वभौमिक आधारभूत आय का वैधानिक अधिकार**

झारखंड खनिज, वन, जल, भूमि और औद्योगिक क्षमता से संपन्न राज्य है, फिर भी बड़ी संख्या में परिवार अनियमित आय, बेरोजगारी, बीमारी, फसल-हानि, विस्थापन और आकस्मिक संकट के कारण गरीबी तथा कर्ज में धकेले जाते हैं। संसाधन-संपन्न राज्य में किसी परिवार का शून्य अथवा अत्यंत असुरक्षित आय पर जीवन बिताना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। झारखंड की संपदा का एक न्यायपूर्ण हिस्सा प्रत्येक झारखंडी परिवार की न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा में प्रत्यक्ष रूप से लौटना चाहिए।

विधानसभा से 'झारखंड सार्वभौमिक आधारभूत आय अधिकार अधिनियम' पारित किया जाए, जिसके अंतर्गत विधि द्वारा परिभाषित प्रत्येक झारखंडी परिवार को नियमित, बिना शर्त और अधिकार-आधारित मासिक आधारभूत आय की गारंटी मिले। इसका उद्देश्य सभी को समान रूप से समृद्ध घोषित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना हो कि कोई परिवार भोजन, आवश्यक दवा, बच्चों की पढ़ाई और न्यूनतम गरिमापूर्ण जीवन के लिए शून्य आय पर न गिरे। यह भुगतान सरकार की कृपा, चुनावी घोषणा या अस्थायी योजना नहीं, कानूनी रूप से लागू अधिकार हो।

आय की न्यूनतम राशि निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र राजकोषीय एवं सामाजिक सुरक्षा आयोग बनाया जाए, जो परिवार के न्यूनतम उपभोग, महँगाई, राज्य की प्रति व्यक्ति आय, गरीबी-अंतर, परिवार के आकार और राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय क्षमता का पारदर्शी आकलन करे। कानून में न्यूनतम आय-फर्श, वार्षिक महँगाई-संशोधन और किसी कटौती के लिए विधानसभा की स्पष्ट स्वीकृति का प्रावधान हो। प्रशासनिक तैयारी के लिए कार्यान्वयन चरणबद्ध हो सकता है, पर कानून सार्वभौमिक अधिकार और उसे राज्यव्यापी रूप से लागू करने की निश्चित अंतिम तिथि पहले से निर्धारित करे।



8

इसके वितपोषण के लिए एक पृथक, कानून-संरक्षित 'झारखंड प्राकृतिक संसाधन लाभांश एवं सार्वभौमिक आधारभूत आय कोष' बनाया जाए। राज्य के अपने कर और गैर-कर राजस्व, विधिसम्मत खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन आय का निर्धारित हिस्सा, राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांश, अनुपयोगी व्यय में प्रमाणित बचत, अवैध रूप से अर्जित और विधिसम्मत रूप से राज्य में निहित संपति तथा दीर्घकालिक निवेश-प्रतिफल जैसे स्रोतों का स्पष्ट वितीय ढाँचा बने। CSR, DMF या किसी अन्य कानूनन निर्धारित उद्देश्य वाले कोष को इस योजना में अनधिकृत रूप से न मोड़ा जाए और न ही भविष्य की प्राकृतिक संपदा को अल्पकालिक राजनीतिक खर्च में समाप्त किया जाए।

भुगतान पारदर्शी सामाजिक पंजीकरण के आधार पर सीधे परिवार की वयस्क महिला सदस्य अथवा परिवार द्वारा विधिसम्मत रूप से नामित संयुक्त खाते में किया जा सकता है। किसी परिवार को दस्तावेजी त्रुटि, डिजिटल असफलता या स्थानीय अधिकारी की मनमानी से अधिकार से वंचित न किया जाए; पंचायत स्तर पर पंजीकरण-सुधार, शिकायत, अपील और समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था हो। लाभार्थी सूची और समेकित भुगतान आँकड़े सार्वजनिक हों, पर व्यक्तिगत वितीय गोपनीयता सुरक्षित रहे।

सार्वभौमिक आधारभूत आय राशन, सामाजिक पेंशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार गारंटी, छात्रवृति या अन्य अधिकारों का स्थान न ले। यह सामाजिक सुरक्षा का आधार हो, उसकी छत नहीं। रोजगार और कौशल का अवसर राज्य का दायित्व बना रहे, जबकि आधारभूत आय नागरिक को संकट में न्यूनतम आर्थिक स्वतंत्रता, मोलभाव की क्षमता और गरिमापूर्ण जीवन का आधार दे।

सरकार पहले वर्ष में संसाधन और परिवार-आधार का सत्यापन, वितीय मॉडल और भुगतान व्यवस्था सार्वजनिक करे; निर्धारित अवधि में राज्यव्यापी क्रियान्वयन पूरा करे; और प्रत्येक वर्ष विधानसभा में राशि, कवरेज, वितीय स्थिरता, गरीबी, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्ज और रोजगार पर प्रभाव की स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट रखे। इस व्यवस्था का केंद्रीय सिद्धांत हो - झारखंड की संपदा का लाभ प्रत्येक झारखंडी परिवार की गरिमा और न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा तक पहुँचे।

**14. विधायकों के वेतन और भते को झारखंड की प्रति व्यक्ति आय से जोड़ने वाला कानून**

यह लोकतांत्रिक और नैतिक विसंगति स्वीकार्य नहीं हो सकती कि किसी राज्य के जनप्रतिनिधियों का वेतन और भता देश में सबसे ऊँचे स्तरों में हो, जबकि उसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश के निम्न स्तरों में बनी रहे। जनप्रतिनिधि का सम्मान आवश्यक है और उसे गरिमापूर्ण पारिश्रमिक मिलना चाहिए, पर उसका निर्धारण स्वयं जनप्रतिनिधियों की इच्छा से अलग, पारदर्शी और राज्य के नागरिकों की आर्थिक वास्तविकता से जुड़ा होना चाहिए।

वर्तमान विधानसभा सत्र में ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाए जो विधायकों के निश्चित वेतन और सामान्य भतों को झारखंड की आधिकारिक प्रति व्यक्ति आय, उसकी वास्तविक वृद्धि और राज्य की वितीय स्थिति से जोड़ने का स्पष्ट सूत्र निर्धारित करे। देश के सभी राज्यों में विधायक वेतन-भता, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, राजस्व क्षमता और विधानसभा कार्य-दिवस का तुलनात्मक सार्वजनिक मानचित्र तैयार किया जाए। इसी आधार पर एक स्वतंत्र जनप्रतिनिधि पारिश्रमिक आयोग समय-समय पर अनुशंसा करे।

जब राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर या घट रही हो, तब निश्चित पारिश्रमिक स्वतः नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर, वास्तविक आधिकारिक यात्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, शोध और विधानमंडलीय कार्य से जुड़े प्रमाणित खर्चों की पारदर्शी प्रतिपूर्ति अलग व्यवस्था से हो सकती है। कोई भी वृद्धि पूर्वव्यापी न हो और हर निर्णय के साथ उसका वितीय प्रभाव तथा आय-संबंध सार्वजनिक किया जाए। इससे यह सिद्धांत स्थापित होगा कि प्रतिनिधित्व विशेषाधिकार नहीं, साझा उतरदायित्व है।

**15. सभी सुधारों पर बाध्यकारी समय-सीमा और वार्षिक सार्वजनिक जवाबदेही**

कानून और संस्थाएँ केवल घोषणा बनकर न रह जाएँ, इसके लिए सरकार वर्तमान विधानसभा सत्र में आवश्यक विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत करे। जिन विधेयकों का प्रारूप तत्काल तैयार न हो सके, उनके लिए मंत्रिमंडलीय सिद्धांत-स्वीकृति, सार्वजनिक मसौदा, विशेषज्ञ और नागरिक परामर्श तथा विधानसभा में प्रस्तुति की निश्चित समय-सीमा घोषित की जाए। परीक्षा जाँच, अभ्यर्थी राहत, रिक्त पदों की गणना, शिकायत पोर्टल और निष्क्रिय संस्थाओं को कार्यशील बनाने जैसे तत्काल कदम कानून बनने की प्रतीक्षा में न रोके जाएँ।

सरकार प्रत्येक वर्ष विधानसभा के समक्ष एक समेकित 'झारखंड नागरिक अधिकार एवं संस्थागत जवाबदेही प्रतिवेदन' रखे। इसमें परीक्षा जाँच, रद्द और पुनर्परीक्षाएँ, एकीकृत भर्ती से भरे गए रिक्त पद, दोषियों पर कार्रवाई, जब्त संपत्ति और कौशल कोष का उपयोग, प्रशिक्षण के बाद रोजगार, सरकारी और निजी शिक्षा-स्वास्थ्य संस्थाओं की गुणवत्ता, शिक्षा-स्वास्थ्य परीक्षाओं की समयबद्धता, पंचायत सेवाओं की उपलब्धता, शिकायत निवारण की स्थिति, सामाजिक अंकेक्षण से सामने आई अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ, पर्यावरणीय अधिकारों और जल-जंगल-जमीन की स्थिति, वैधानिक संस्थाओं की रिक्तियाँ और लंबित मामले, विस्थापित परिवारों की अंतरपीढ़ी स्थिति, सार्वभौमिक आधारभूत आय की कवरेज और प्रभाव तथा विधायक पारिश्रमिक और प्रति व्यक्ति आय का संबंध सार्वजनिक किया जाए।

इस रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा, जिला स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई और पंचायत स्तर पर सरल जन-प्रस्तुति हो। जो वादा किया गया, उसके विरुद्ध क्या परिणाम आया, कौन-सी संस्था विफल हुई और जिम्मेदारी किसकी है - यह नागरिक के सामने स्पष्ट होना चाहिए। यही लोकतंत्र को चुनाव से आगे नागरिक जीवन में उतारने का व्यावहारिक मार्ग है।

महोदय, झारखंड के युवा केवल एक परीक्षा रद्द कराने या एक जाँच समिति बनवाने के लिए सड़क पर नहीं हैं। वे यह भरोसा माँग रहे हैं कि ईमानदार मेहनत का मूल्य होगा, रिक्त पद समय पर भरेंगे, सार्वजनिक संस्था गलती करेगी तो जिम्मेदारी तय होगी, भ्रष्टाचार से अर्जित लाभ सुरक्षित नहीं रहेगा, जल-जंगल-जमीन और स्वच्छ पर्यावरण की रक्षा लागू अधिकार के रूप में होगी, किसी परिवार को शून्य आय पर नहीं छोड़ा जाएगा और राज्य उनकी शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, न्याय, गरिमा तथा भविष्य को प्राथमिकता देगा।

यह पत्र किसी एक दल या सरकार के विरुद्ध नहीं है। झारखंड में रही सभी सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं की सामूहिक विफलताओं से सीख लेकर वर्तमान सरकार एक नई संस्थागत शुरुआत कर सकती है। आपके पास यह अवसर है कि युवा आक्रोश को दबाने के बजाय उसे जवाबदेह झारखंड के निर्माण की शक्ति बनाया जाए।

अतः आपसे आग्रह है कि आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ शीघ्र औपचारिक संवाद करें; विवादित परीक्षाओं की एकीकृत स्वतंत्र जाँच की घोषणा करें; जहाँ निष्पक्षता बची न हो वहाँ विधि-सम्मत रद्दीकरण और पुनर्परीक्षा सुनिश्चित करें; सभी रिक्त पदों की सार्वजनिक गणना कर विशेष एकीकृत भर्ती अभियान प्रारंभ करें; और अभ्यर्थी अधिकार, नागरिक शिकायत-निवारण, शिक्षा-स्वास्थ्य नियमन, सामाजिक अंकेक्षण, पर्यावरणीय अधिकार, सार्वभौमिक आधारभूत आय तथा अन्य उपर्युक्त विधायी, प्रशासनिक और संस्थागत प्रस्तावों को वर्तमान विधानसभा सत्र और निर्धारित समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाएँ। राष्ट्रीय नागरिक निर्माण अभियान इस विषय पर तथ्य, नीति-विचार और नागरिक परामर्श के स्तर पर रचनात्मक सहयोग देने के लिए तत्पर है।

सादर,

भवदीय

DR 05/08/2026

राम नरेश यादव

Founder, NCBC

M.Tech. (Civil Engineering), IIT Kanpur

Formerly: IDSE Officer, Govt. of India | Faculty Member, RIT (now NIT) Jamshedpur

email :yadawrn@gmail.com, मोबाईल:7674807413